भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2372
मंगलवार, 06 अगस्त, 2024/8 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का कार्यान्वयन

†2372. श्री धर्मबीर सिंहः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;
(ख) वे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कौन-से हैं, जहां इस पहल के लिए प्रायोगिक परियोजना चलाई जा रही है;
(ग) इन अनाज भंडारण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तय विशिष्ट समय-सीमा क्या है और कितना बजट आवंटन किया गया है;
(घ) क्या भंडारित अनाज की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष रणनीति अपनाई जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या भिवानी-महेंद्रगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान अथवा योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ङ): सरकार ने दिनांक 31.05.2023 को सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को अनुमोदन प्रदान किया, जिसे एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। योजना के तहत भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं जैसे कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME), आदि के अभिसरण के माध्यम से पैक्स के स्तर पर 5 वर्षों की अवधि में विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता और विभिन्न अन्य कृषि अवसंरचना, जैसे कस्टम हाइरिंग केंद्रों, प्रसंस्करण इकाइयों, आदि का निर्माण करना शामिल है । यह योजना पैक्स स्तर पर अभिसरित की जा रही भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध अनुमोदित परिव्यय का उपयोग करके कार्यान्वित की जा रही है ।

पायलट परियोजना के तहत 11 राज्यों- महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, तेलंगाना, त्रिपुरा और राजस्थान की 11 पैक्स में एनसीडीसी, नाबार्ड और नैबकोंस की सहायता से गोदामों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पायलट परियोजना को 500 अतिरिक्त पैक्स में भी विस्तारित किया जा रहा है । हरियाणा राज्य द्वारा परियोजना में भाग लेने को इच्छुक 11 पैक्स की सूची साझा की गई है, जिसमें भिवानी-महेन्द्रगढ़ लोक सभा संसदीय क्षेत्र के करी धरनी गांव की करी धरनी नामक पैक्स भी शामिल है ।

इस परियोजना के तहत विकसित अवसंरचनाएँ आधुनिक तकनीक की हैं तथा मौसम की सभी प्रकार की स्थितियों का सामना करने में सक्षम हैं, जिससे खाद्यानों की गुणवत्ता व सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत बनाए जा रहे गोदाम वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआरए) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. गोदामों पर ताला लगाने और स्टॉक की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था का होना।
ii. पैक्स के गोदामों में (500 मीट्रिक टन क्षमता तक) कम से कम एक अग्निशामक यंत्र और छह अग्नि बाल्टियों का होना।

******